



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27042026-272103
CG-DL-E-27042026-272103

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 282]
No. 282]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 24, 2026/वैशाख 4, 1948
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 24, 2026/VAISAKHA 4, 1948

भारतीय मानक ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2026

फा. सं. बीएस XI/04/03/2025-26.— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 5 के साथ पठित धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से, यह ब्यूरो एतद्वारा भारतीय मानक ब्यूरो (सलाहकार समिति) विनियम, 2018 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्—

- (1) इन विनियमों को भारतीय मानक ब्यूरो (सलाहकार समिति) संशोधन विनियम, 2026 कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम इस अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- भारतीय मानक ब्यूरो (सलाहकार समिति) विनियम, 2018, विनियम 5 के लिए, उप-विनियम (1) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“अनुरूपता मूल्यांकन सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

- (i) ब्यूरो के महानिदेशक — अध्यक्ष;
- (ii) निम्नलिखित में से प्रत्येक से न्यूनतम संयुक्त सचिव या समकक्ष स्तर का एक प्रतिनिधि —”

- (क) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का वह विभाग जो व्यापार नीति (विश्व व्यापार संगठन या व्यापार में तकनीकी बाधाएँ) से संबंधित है;
- (ख) इस्पात मंत्रालय;
- (ग) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग;
- (घ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय;
- (ङ) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत उपभोक्ता मामले विभाग;
- (च) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।
- (iii) उद्योग, व्यापार तथा उनके संघों से दो प्रतिनिधि;
- (iv) किसी मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगठन से एक प्रतिनिधि;
- (v) अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य सदस्य;
- (vi) ब्यूरो के उप महानिदेशक (प्रमाणीकरण) – सदस्य - सचिव”

अलका, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./12/2026-27]

नोट: मुख्य विनियम भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खंड 4 में फाइल संख्या BS/11/04/2018 दिनांक 7 जून, 2018 को प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात फाइल संख्या BS/11/04/2018 दिनांक 12 अक्टूबर, 2018, फाइल संख्या BS/11/04/2018 दिनांक 12 जून, 2020 तथा फाइल संख्या BS/11/04/2018 दिनांक 13 सितंबर, 2023 द्वारा संशोधित किए गए।

BUREAU OF INDIAN STANDARDS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th April, 2026

F. No. BS XI/04/03/2025-26.— In exercise of the powers conferred by section 39 read with section 5 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Bureau, with previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Bureau of Indian Standards (Advisory Committee) Regulations, 2018, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Bureau of Indian Standards (Advisory Committee) Amendment Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. In the Bureau of Indian Standards (Advisory Committee) Regulations, 2018, for regulation 5, for sub-regulation (1), following shall be substituted, namely:—

“The Conformity Assessment Advisory Committee shall consist of the following members, namely: —

(i) Director General of the Bureau - Chairman;

(ii) one representative not below the rank of Joint Secretary or equivalent from each of the following—

(a) Department dealing with Trade Policy (World Trade Organisation or Technical Barriers to Trade) in the Ministry of Commerce and Industry;

(b) Ministry of Steel;

(c) Department for Promotion of Industry and Internal Trade;

(d) Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises;

(e) Department of Consumer Affairs in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution;

(f) Ministry of Electronics & Information Technology.

(iii) two representatives from Industry, Trade and their Associations;

(iv) one representative from any recognised consumer organisation;

(v) any other member as nominated by the Chairman;

(vi) Deputy Director General (Certification) of the Bureau - Member-Secretary.”

ALKA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./12/2026-27]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India Extraordinary, Part III, Section 4 vide F. No. BS/11/04/2018 dated the 7th June, 2018 and subsequently amended vide F. No. BS/11/04/2018 dated the 12th October, 2018, F. No. BS/11/04/2018 dated the 12th June 2020 and F. No. BS/11/04/2018 dated the 13th September 2023.